



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2014/अका.ग./305-01/पार्ट फाइल
दिनांक : 22.10.2021

सूचना

विश्वविद्यालय के समस्त संकाय सदस्यों, अधिकारियों, कर्मियों को सूचित किया जाता है कि जिन लोगों ने परिवार के सदस्यों सहित कोविड-19 रोधक दोनों वैक्सीन लगाई हैं वे प्रमाणपत्र के साथ शीघ्रातिशीघ्र कुलसचिव कार्यालय को ई-मेल से सूचित करें।

जिन्होंने वैक्सीन की एक डोज़ लगाई है वे पहली डोज़ के प्रमाणपत्र के साथ दूसरी डोज़ की अनुमानित तिथि और जिन्होंने दोनों डोज़ नहीं ली है वे शीघ्रातिशीघ्र पहला डोज़ लेकर दूसरे डोज़ की प्रस्तावित/अनुमानित तिथि कुलसचिव कार्यालय में ई-मेल से सूचित करें।

इसके उपरांत भी वैक्सीन नहीं लगाये जाने की स्थिति में उन्हें अवकाश पर भेजा जा सकता है, जिसकी कटौती उनके अवकाश खाते से की जा सकती है।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
22/10/21

प्रति (ई:मेल द्वारा) : समस्त संकाय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी

प्रतिलिपि (ई:मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. स्थापना एवं प्रशासन विभाग
4. संबंधित पत्रावली